

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक— वि.प्रा。(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक
सेवा में,
प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेक्निक, जमुई

विषयः— वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्य शीर्ष-4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02— तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104 — बहुशिल्प, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष- 0102— पोलिटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” विपत्र कोड 43— 4202021040102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-140, दिनांक 16.01.2018 के द्वारा विभागान्तर्गत नवरथापित राजकीय पोलिटेक्निक, जमुई के परिसर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 11 KVA HT लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रु. 5,81,000=00 (पांच लाख इक्यासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संरक्षण को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रु. 5,81,000=00 (पांच लाख इक्यासी हजार रुपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक—428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा。(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
निदेशक

ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

/ पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

हॉ/ -


निदेशक


ज्ञापांक— वि.प्रा.(III)ब-8 / 2013 (पार्ट)-

69(३१) / पटना, दिनांक

29-01-18

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई.टी.
मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु
(निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक
25-01-18


25/01/18

मुख्यमंत्री